न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 12/2017 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00091

उनवान

टेकचन्द पुत्र गिर्राज जाति कोली निवासी राठौर मौहल्ला कोली पाडा कस्बा रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामरती पत्नी
2. नूतन
3. मुकुल — पुत्रान
4. शनि
5. प्रमोद
6. नन्दनी — पुत्रियॉ
7. दयाकुमारी

स्व0 रोशन जातियान कोली नि0 राठौर मौहल्ला कोली पाडा कस्बा रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

8. विशना — पुत्रियॉ स्व0 सरमन
9. श्यामवती
10. टीकाराम — पुत्रान
11. सत्यप्रकाश
12. कमली — पुत्रियॉ
13. यशोदा

स्व0 बाबू

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 20.02.2017 उनवानी टेकचन्द बनाम रामरती वगै0 मु0न0 18/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री राकेश मार्क्स शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 03.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 20.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थी ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध रैस्पो0/अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि कंगल पुत्र हेमा जाति कोली निवासी रूपवास का था, जो दिनांक 20.07.1965 को लाऔलाद फौत हो गया। कंगल पुत्र हेमा व शोभनार्थ अप्रार्थीगण का पूर्वज था। चूंकि कंगल लाऔलाद फौत हो गया इसलिये अपीलाण्ट/प्रार्थी व शोभनार्थ रैस्पो0/अप्रार्थीगण का मृतक कंगल पूर्वज होने के कारण उनकी छोडी हुई सम्पत्ति का काबिज व दखील खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी में अपीलाण्ट/प्रार्थी व शोभनार्थ रैस्पो0/अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से के अनुसार बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। परन्तु असल रैस्पो0/अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही वह मृतक कंगल की औलाद हैं, वह झुनियॉ नाम की औरत के वारिस हैं। झुनियॉ अपने पति के मरने के बाद अपने समस्त असल रैस्पो0/अप्रार्थीगण पुत्र पुत्रियों को लेकर यहॉ आ गयी थी तथा कंगल के साथ रहने लग गई थी। कंगल की मृत्यु के बाद उन्होंनें विवादित आराजी का इन्द्राज गैर तरीके से अपने नाम करा लिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दोनों पक्षो के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित सम्पत्ति पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है तथा उसे अपने कब्जे को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। अपीलाण्ट की ओर से दावा घोषणा करने खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् विरूद्ध रैस्पो0 विचाराधीन है तथा मृतक कंगल की विरासत का झगडा है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अपीलाण्ट के हक में मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश एक मूक आदेश है, निर्णय में मूलभूत बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन तथा अपरिमित क्षति पर बिल्कुल विचारण नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपने विशेष विवरण में निवेदन किया कि विवादित आराजी कंगल पुत्र हेमा जाति कोली निवासी रूपवास की छोडी हुई आराजी है। कंगल का एक भाई बुद्धा भी था जिसकी शादी झुनिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के साथ हुई थी एवं उनसे उन्हें सरमन व बाबू दो पुत्र पैदा हुये थे। बुद्धा का स्वर्गवास हो जाने के बाद, झुनिया की शादी कंगल के साथ कर दी। सरमन व बाबू भी कंगल के साथ रहने लगे एवं कंगल जब तक जीवित रहा तब तक उक्त विवादित आराजी को काश्त करते रहे। कंगल की मृत्यु के बाद झुनिया जीवित थी, जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके उत्तराधिकारी सरवन व बाबू जीवित थे। इस प्रकार कंगल की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त विवादित आराजी का विरासत का इन्द्राज झुनियॉ के नाम राजस्व रिकार्ड में तस्दीक हुआ। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कभी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रहा है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट मृतक कंगल को लाऔलाद फौत बताते हुए, उसकी खातेदारी भूमि पर अपना अधिकार प्रकट किया है। रैस्पो0/अप्रार्थी इसका खण्डन करते हुये कंगल व बुद्धा, दो भाई बताते हुये, बुद्धा की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी झुनियॉ की शादी कंगल से होना कथन करते हुये; हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कंगल की खातेदारी भूमि पर अपना अधिकार बताते हैं। यह तथ्य साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना उपरांत तय होने वाला बिंदु है। फिलहाज प्रार्थना पत्र 212 तय करते समय हम पाते हैं कि कथित रूप से कंगल के लाऔलाद फौत होने पर, उसके द्वारा छोडी गई विवादित भूमि पर, अपीलाण्ट को किस प्रकार स्वत्व अर्जित हुआ ? अपीलाण्ट द्वारा स्पष्ट नहीं किया है। जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता संख्या 808 में रेस्पोंडेंट के नाम होने से रेस्पोंडेंट के पक्ष में प्रथमदृष्टया स्वत्व जाहिर होता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 20.02.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official